

## मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाको “आर्थिक ऐन, २०७८”

मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७८

गाँउसभाबाट पारित भएको मिति : २०७८/०३/३०

### प्रस्तावना:

मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम मनाङ डिस्याङ गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पति कर :** गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत)** यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. **घर वहाल कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार वा निकासी गरेवापत अनुसूचि ( ५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए भए बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने छ ।

८. **विज्ञापन कर :** गाउँ पालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने छ ।

९.मनोरञ्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (६) बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१०. बहाल बिटौरी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार वा पसलमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

११. पार्किङ शुल्क : गाउँ पालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (७) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१२. ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र च्याप्टीङ्ग शुल्क : गाउँ पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र च्याप्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१३. सेवा शुल्क, दस्तुर : गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (८) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१४. पर्यटन शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची (९) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ । तर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि कुनै समय उक्त रकम नलिनु उपयुक्त देखिएमा गाउँपालिकाले गाउँकार्यपालिकाले केही समयका लागि तोकिएको शुल्क नलिन पनि सक्ने छ ।

१५. पूर्वाधार उपयोग कर : गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन तथा मर्मत संभार गरेका सडक लगायतका पूर्वाधारमा अनुसूची (१०) मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रवेश शुल्क लगाइने र असुल गरिने छ ।

१६. दहत्तर वहत्तर शुल्क : यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुने नदीजन्य तथा खानीजन्य वस्तुको संकलन तथा निकासी वापत अनुसूची (११) मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा शुल्क लगाइने र असुल गरिने छ ।

१७.कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई सामान्यतया कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन । तर विशिष्ट अवस्थामा कर छुट दिनुपर्ने भएमा गाँउ कार्यपालिकाले औचित्य समेत खुलाई निर्णय गर्न सक्नेछ र सो निर्णय ततपश्चात वस्ने गाँउसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने छ ।

१८. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

अनुसूचीमा हेरफेर : यस ऐन बमोजिम उल्लेखित अनुसूचीमा हेरफेर गर्नु परेमा कारण तथा औचित्य सहित गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

**अनुसुची १**  
**सम्पती करको दरहरु**

| सि.न. | विवरण      | दर     | एकाई       |
|-------|------------|--------|------------|
| १     | सामान्य घर | रु २०  | प्रति वर्ष |
| २     | मध्यम घर   | रु ५०  | प्रति वर्ष |
| ३     | पक्की घर   | रु १०० | प्रति वर्ष |

**अनुसुची २**  
**मालपोतको दरहरु**

| सि.न. | विवरण                     | दर    | एकाई        |
|-------|---------------------------|-------|-------------|
| १     | न्युनतम                   | रु १० |             |
| २     | एक रोपनी वा सो भन्दा माथी | रु १० | प्रति रोपनी |

**अनुसुची ३**  
**घरवहाल कर**

| सि.न. | विवरण      | दर         | एकाई      |
|-------|------------|------------|-----------|
| १     | घर वहाल कर | १० प्रतिशत | घर भाडाको |

**अनुसुची ४**  
**व्यवसाय करको दरहरु**

| सि.न. | विवरण                   | दर        | एकाई             |
|-------|-------------------------|-----------|------------------|
| १     | चिया पसल                | रु ५००    | प्रति वर्ष       |
| २     | रेष्टुरेन्ट             | रु १०००   | प्रति वर्ष       |
| ३     | किराना पसल तथा अन्य पसल | रु १०००   | प्रति वर्ष       |
| ४     | होटल                    |           |                  |
|       | ग वर्ग                  | रु २०००   | प्रति वर्ष       |
|       | ख वर्ग                  | रु ३०००   | प्रति वर्ष       |
|       | क वर्ग                  | रु ४०००   | प्रति वर्ष       |
| ५     | इन्टरनेट सेवा           | ५ प्रतिशत | कारोबारको आधारमा |
| ६     | अन्य व्यवसाय            | ५ प्रतिशत | आयको आधारमा      |

**अनुसुची ५**  
**जडिबुटी, जिवजन्तु तथा कवाडी करको दरहरु**

| सि.न. | विवरण        | दर       | एकाई          |
|-------|--------------|----------|---------------|
| १     | निकास दस्तुर |          |               |
|       | वन लसुन      | रु ३००   | प्रति के.जि.  |
|       | धुपी         | रु १०    | प्रति के.जि.  |
|       | जिम्बु       | रु १०    | प्रति के.जि.  |
|       | टिमुर        | रु १०    | प्रति के.जि.  |
|       | यार्सागुम्बा | रु १५००० | प्रति के.जि.  |
| २     | संकलन दस्तुर |          |               |
|       | यार्सागुम्बा | रु १०००  | प्रति व्यक्ति |

अनुसुची ६  
मनोरञ्जन कर

| सि.न. | विवरण               | दर      | एकाई      |
|-------|---------------------|---------|-----------|
| १     | मनोरञ्जन कर         | रु ५००  | प्रति दिन |
| २     | डकुमेन्ट्री निर्माण | रु १००० | प्रति दिन |

अनुसुची ७  
पार्किङ शुल्कको दरहरु

| सि.न. | विवरण     | दर     | एकाई      |
|-------|-----------|--------|-----------|
| १     | मोटरसाइकल | रु २०  | प्रति दिन |
| २     | जिप/भ्यान | रु ५०  | प्रति दिन |
| ३     | ट्रयाक्टर | रु १०० | प्रति दिन |
| ४     | ट्रक      | रु १५० | प्रति दिन |
| ५     | डोजर      | रु १५० | प्रति दिन |

अनुसुची ८  
सेवा शुल्क दस्तुरको दरहरु

| सि.न.  | विवरण   | दर           | एकाई          |
|--|---|--------------|---------------|
| <b>गाउँ कार्यपालिका कार्यालयवाट हुने सिफारिस</b> |   |              |               |
| १  | सिफारिस दस्तुर                                  | रु ५००       | प्रति सिफारिस |
| २  | Consultation प्रमाणित                           | रु ५००       | प्रति सिफारिस |
| <b>वडा कार्यालयवाट हुने सिफारिस</b>              |   |              |               |
| ३  | सिफारिस दस्तुर                                  | रु २००       | प्रति सिफारिस |
| ४  | नागरिकता तथा प्रतिलिपि नागरिकता सिफारिस         | रु ३००       | प्रति सिफारिस |
| ५  | नाता प्रमाणित नेपाली                            | रु ३००       | प्रति सिफारिस |
| ६  | नाता प्रमाणित अंग्रेजी                          | रु ५००       | प्रति सिफारिस |
| ७  | नाबालक नागरिकता सिफारिस                         | रु ३००       | प्रति सिफारिस |
| ८  | घर बाटो सिफारिस मोटर बाटोले नछोएको              | रु ३००       | प्रति सिफारिस |
| ९  | घर बाटो सिफारिस मोटर बाटोले छोएको               | रु ५००       | प्रति सिफारिस |
| १०   | विभिन्न प्रकृतिका अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित | रु ५००       | प्रति सिफारिस |
| ११   | व्यक्तिगत प्रयोजनका सिफारिसहरु                  | रु ३००       | प्रति सिफारिस |
| १२   | सार्वजनिक कार्यालयका लागि सिफारिस               | निशुल्क      | प्रति सिफारिस |
| १३   | छात्रवृत्ति सिफारिस                             | रु २००       | प्रति सिफारिस |
| १४   | अपाङ्ग तथा असहायको सिफारिस                      | निशुल्क      |               |
| १५   | घटना दर्ता जरिवाना                              | नियमानुसार   |               |
| १६   | आय प्रमाणित                                     | ०.१ प्रतिसत  |               |
| १७   | अचल सम्पति मुल्याङ्कन                           |              |               |
|  | २० लाख सम्मको                                   | १ प्रतिसत    |               |
|  | २० लाख १ करोड सम्मको                            | ०.५ प्रतिसत  |               |
|  | १ करोड भन्दा माथि                               | ०.२५ प्रतिसत |               |
| १८   | विद्युत सिफारिस                                 | रु ३००       |               |
| १९   | नाम संशोधन, नाम छुट तथा दुई नाम सिफारिस         | रु ३००       |               |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
| २० | स्थायी वा अस्थायी बसोबास सम्बन्धि सिफारिस  | रु ३००  |  |
| २१ | नाम, थर, जन्ममिति संशोधन सिफारिस           | रु ३००  |  |
| २२ | सम्बन्ध विच्छेद भएको सिफारिस               | रु ५००  |  |
| २३ | व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्रको नक्कल प्रति    | रु ५००  |  |
| २४ | घर निर्माण सम्पन्न सिफारिस (आर.सि.सि)      | रु ५००  |  |
| २५ | घर निर्माण सम्पन्न सिफारिस (कच्ची घर)      | रु ३००  |  |
| २६ | निजि क्षेत्रका रुख कटान सिफारिस            | रु १००  |  |
| २७ | विभिन्न दलित, जनजाती तथा घर प्रमाणित       | रु ३००  |  |
| २८ | कर क्लियर सिफारिस नेपाली                   | रु ३००  |  |
| २९ | खानेपानी सम्बन्धि सिफारिस                  | रु ३००  |  |
| ३० | उद्योग □ व्यवसाय दर्ता                     | २०००    |  |
| ३१ | उद्योग □ व्यवसाय नविकरण                    | १०००    |  |
|    | उद्योग दर्ता नविकरण सिफारिस                |         |  |
|    | साना                                       | रु ५००  |  |
|    | मझौला                                      | रु ८००  |  |
|    | ठुला                                       | रु १२०० |  |
| ३२ | घर ढलान गर्दा बाटो प्रयोग सम्बन्धि सिफारिस | रु ३००  |  |

**अनसुची ९**  
**पर्यटन शुल्कका दरहरू**

| सि.न. | विवरण        | दर     | एकाई          |
|-------|--------------|--------|---------------|
|       | पर्यटन शुल्क |        |               |
| १     | नेपाली       | रु ५०  | प्रति व्यक्ति |
| २     | विदेशी       | रु १०० | प्रति व्यक्ति |

**अनसुची १०**  
**पुर्वाधार उपयोग शुल्कको दरहरू**

| सि.न. | विवरण        | दर     | एकाई        |
|-------|--------------|--------|-------------|
|       | प्रवेश शुल्क |        |             |
| १     | मोटरसाइकल    | रु ५०  | प्रति ट्रिप |
| २     | जिप          | रु १०० | प्रति ट्रिप |
| ३     | ट्रयाक्टर    | रु १५० | प्रति ट्रिप |
| ४     | ट्रक         | रु १५० | प्रति ट्रिप |
| ५     | डोजर         | रु ५०० | प्रति ट्रिप |

**अनसुची ११**  
**दहत्तर बहत्तर बिक्रि तथा निकासी शुल्क दस्तुको दरहरू**

| सि.न. | विवरण  | दर    | एकाई              |
|-------|--|-------|-------------------|
| १     | ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क | रु ७  | प्रति क्युबिक फिट |
| २     | गिटी, बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क         | रु २० | प्रति बोरा        |
| ३     | छपनी उत्खनन्                                 | रु ५  | प्रति वर्ग फिट    |